

तोमर भाइयों को कोर्ट में पेश होने चार दिन की मिली मोहलत

रायपुर। सूदखोरी, मारपीट, जबरन वसूली के मामले में फरार आरोपी वीरेंद्र तोमर तथा उसके भाई रोहित तोमर को पूर्व में कोर्ट ने आदेश जारी कर 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी तोमर भाई सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। सोमवार को जेएमएफसी कोर्ट ने दोनों भाइयों के लिए हाजिरी की अपेक्षा करने वाली पुनः उद्घोषणा जारी की है। दोनों भाइयों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने आदेश जारी किया गया है। आदेश की कॉपी मंगलवार को उनके घर में चस्पा की जाएगी। 18 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट एक और नोटिस जारी कर सकता है। इसके बाद दोनों भाइयों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।